

भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त
 16. पृष्ठा टावर, जलगांव
 GOVERNMENT OF INDIA
 Office of the
 Commissioner of Income Tax
 Udaipur

क्रमांक: आ.आ. / उदय / न्यायिक / 2007-2008 / 186

दिनांक: 19.06.2007

आदेश :-

विषय:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन छूट।
 — 00 —

दानदाताओं द्वारा वागङ्ग मजदूर किसान संस्थान, बी.एड. कॉलेज के पास, डुंगरपुर को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन उक्त धारा में विहित सीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छूट के योग्य होंगे।

यह छूट 01.04.2007 से 31.03.2008 तक को समाप्त अवधि/कर निर्धारण वर्ष 2008-09 तक निम्नांकित शर्तों के साथ मान्य होगी:-

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किये जावें और यह रूपरेखा से लिखा जावें कि यह प्रमाण पत्र किस दिनांक/अवधि तक मान्य है।
2. आय एवं व्यय के लिखा विवरण एवं चिट्ठा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले आयकर अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता हो सालाना प्रस्तुत किये जावें।
3. यदि संस्था के संविधान/गठन में कोई संशोधन किया जावे तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जावे।
4. संस्था को दिए गए दान को लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधानों/शर्तों/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे।



६०
 (एम० एस० भीना)
 आयकर आयुक्त
 उदयपुर

नोट :-

इस प्रमाण पत्र के आधार पर संस्था को अपने कर निर्धारण के समय छूट प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। निर्धारण अधिकारी यह जांच-पड़ताल करे कि निर्धारिती (संस्था) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार धर्मार्थ (चेरिटेबल) है या नहीं और धारा 11, 12, 12ए(ए) धारा 13 में उल्लेखित शर्त पूरी करता है या नहीं।

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/न्यासी वागङ्ग मजदूर किसान संस्थान, बी.एड. कॉलेज के पास, डुंगरपुर।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड - 1(2), उदयपुरको प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि संस्था/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की स्वयं जांच-पड़ताल करें कि धारा 80 जी तथा प्रत्यक्ष कर वार्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं सम्बन्ध में लागू होने वाली शर्तों को निरन्तर पूरा करता है।
3. अपर आयकर आयुक्त, रेज-1, उदयपुर।

(कुमुजुमोन अब्बाहम)
 आयकर अधिकारी (तत्क.)

वागङ्ग मजदूर किसान संस्थान